App A

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – सब डिविजनल ऑफिसर | मुकाम – फुलियाकलां

राजेश चौधरी **बनाम** रामदयाल आदि वगैरह

किस्म मुकदमा – धारा 128 एल आर एक्ट | प्रकरण संख्या –176/22

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	*नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए*
21.12.2022	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 08.02.2023 को पेश हो।	
	08.02.2023 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से न्यायालय इसमें यह आवश्यक मानता है कि प्रार्थी अपने जिस खसरे की पत्थरगढी कराना चाहता है, उस खसरे की जिस मेड के पडौसी खातेदार से सीमा संबंधी विवाद हो रहा है, उस पडौसी खातेदार को प्रार्थनापत्र में पक्षकार बनाये जाने के साथ विवादग्रस्त भूमि का राजस्व नक्शा एवं पडौसी खातेदारों की चालू जमाबन्दी प्रार्थनापत्र में संलग्न की जानी आवश्यक है। प्रार्थी पक्ष आपेक्षित पूर्ति आईन्दा सुनवाई पर प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते देखने अपेक्षित पूर्ति के दिनांक 29.03.2023 को पेश हो।	
	29-3-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश पर है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 5/4/23 को पेश हो।	Not Press 29.3.23
	05.04.2023 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये । ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात, में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी पक्ष के नोट प्रेस कर दिये जाने से इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	